रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1993/अग्रहायण 3, 1915
No. 694] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1993/AGRAHAYANA 3, 1915

विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1993

का.आ. 891(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 211 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय की खेती या उसके प्रसंस्करण में या दोनों में लगी हुई कम्पनियों को लाभ हानि लेखे में, उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची के भाग 2 के पैरा 3(2) के खंड (क) के उपखंड (1) में उल्लिखित जानकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रकट करने में छूट देती है, अर्थात् :—

(1) लाभ हानि लेखे में, ऐसी कम्पनियों द्वारा उत्पादित और प्रसंस्कृत हरी पत्ती वाली चाय की मात्रा और अन्य विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत मूल्य नहीं है) अलग-अलग और साथ ही उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिससे

उक्त लाभ हानि लेखा संबंधित है, उसके आरम्भिक और अंतिम स्टाक, प्रकट किये जायेंगे।

(2) स्रोत के बाहर से क्रय की गई हरी पत्ती वाली चाय, यदि कोई हो, की बाबत, ऐसी कम्पनियां अपने लाभ-हानि लेखे में, इस प्रकार की गई और प्रसंस्कृत हरी पत्ती वाली चाय की मात्रा और अन्य विशिष्टियां तथा उसके आरम्भिक और अंतिम स्टाक के प्रकटन के अतिरिक्त क्रय की गई चाय का मूल्य भी प्रकट करेगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 1/23/92-(सी एल-5]

आर.डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1993

S.O. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby exempts companies engaged in the cultivation or processing of tea, or both, from disclosing in the profit and loss account the information mentioned in sub-clause (1) of clause (a) of para 3(ii) of Part II of Schedule VI to the said Act subject to the following conditions, namely :—

(1) The profit and loss account shall disclose the quantity and other particulars (not including the value) of green leaf tea produced and processed by such companies separately together with the opening and closing stock thereof during the financial year to which the said profit and loss account relates.

(2) In respect of green leaf tea, if any, purchased from outside source, such companies shall also disclose in their profit and loss account the value of the tea purchased in addition to the disclosure of the quantity and other particulars of the green leaf tea so purchased and processed, and the opening and closing stock thereof.

2. This Notification shall remain in force for a period of three years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1|23|92-CL. V.]
R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993